



फैडरेशन के संचालक मंडल की बैठक दिनांक 8 जुलाई, 2025

वार्षिक साधारण सभा माह 30 अगस्त को जयपुर में होगी



फैडरेशन के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 08.07.2025(मंगलवार) को होटल सिग्नेट, अजमेर रोड, जयपुर में फैडरेशन अध्यक्ष श्री मोहन पाराशर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संचालकों के साथ-साथ अरबन बैंकों के उपस्थित अध्यक्षगण एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया।

बैठक में संचालक मंडल की गत बैठक दिनांक 23.04.2025 की कार्यवाही की पुष्टि करते हुए फैडरेशन द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन किया गया तथा फैडरेशन की वार्षिक साधारण सभा 30 अगस्त को जयपुर में आयोजित करने का निर्णय लेते हुए वार्षिक साधारण सभा के विचारणीय विषयों पर सर्वसम्मति से सहमति दी गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा वार्षिक साधारण सभा में बैंकों से अधिक से अधिक प्रतिनिधियों को भेजने का आवाहन किया।

बैठक में फैडरेशन के उप-नियमों में वांछित संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट, मुख्य आक्षेप एवं भाग 'ब' की अनुपालना रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया, फैडरेशन के वित्तीय वर्ष 2025-26 ऑडिट हेतु मैसर्स सिंहल श्रुति एण्ड एसोसियेट्स को अंकेक्षक नियुक्त करने की सिफारिश की गई तथा 31 मार्च, 2025 तक के संकलित लाभ का निवर्तन करते हुए सदस्य बैंकों को 10 प्रतिशत लाभांश देने की सिफारिश की गई।

चर्चा के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव महोदया श्रीमती मंजू राजपाल से व्यक्तिगत अनुरोध के बाद रजिस्ट्रार महोदया द्वारा एकमुश्त ऋण राहत योजना के संबंध में जारी पत्र दिनांक 04.07.2025 से भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 08.06.2023 के आलोक में एकमुश्त ऋण राहत योजना तैयार कर क्रियान्वित करने के लिये बैंक के संचालक मंडल को अधिकृत कर दिया गया है।

इस संबंध में फैडरेशन अध्यक्ष श्री पाराशर ने बैंकों के अध्यक्षगण एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारियों को सचेत किया कि योजना बनाते समय बैंक एवं जमाकर्ताओं के हितों का पूर्ण ध्यान रखा जावे। हमें वसूली के भरपूर प्रयास करने के बाद भी यदि कोई ऋण एनपीए हो जाता है तो गत कम से कम 3 या 5 वर्ष पुराने केसेज को ही योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिये। योजना में सम्मिलित करने के लिये हमें उसका औचित्य सुनिश्चित करना होगा कि हमने वसूली के लिये हर प्रकार के प्रयास किये और ऋणी अपनी परिस्थितिवश ऋण चुकाने में वास्तव में असमर्थ है।

श्री शर्मा ने बताया कि रजिस्ट्रार महोदया द्वारा अरबन बैंकों के अधिकारियों व कर्मचारियों के नये सेवा नियम-2025 जारी होने के साथ ही साथ ओटीएस योजना एवं स्टाफ स्ट्रेन्थ स्वीकृति के अधिकार बैंक के संचालक मंडल को प्रत्यायोजित हो गये हैं। सीधी भर्ती का भी रास्ता खुल गया है। जोधपुर एवं सीकर बैंकों के चुनाव घोषित हो चुके हैं एवं शेष रहे स्टर्लिंग बैंक के चुनाव के लिये फैडरेशन सतत् प्रयत्नशील है।

अध्यक्षीय संदेश



इस वित्तीय वर्ष में 4 माह व्यतीत हो चुके हैं। 24 जुलाई, 2025 को माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी नीति की घोषणा की है जिसमें सहकारिता से समृद्धि, उद्देश्य की प्राप्ति के लिये विभिन्न चरणों में नये-नये कदम प्रस्तावित किये हैं जिसके अनुरूप हमारे अरबन बैंकिंग सेक्टर को भी भली प्रकार से तैयार होना है।

आगामी माह – अगस्त, 2025 त्यौहारों का माह है जिसमें 9 अगस्त को रक्षाबंधन, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह, 16 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी एवं 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी हर्षोल्लास के साथ मनाई जायेगी। इन सभी अवसरों के लिये बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

जैसा कि सुविदित है, 29 अगस्त को नई दिल्ली में नेशनल फ़ैडरेशन की वार्षिक साधारण सभा एवं 30 अगस्त को अचरोल, जयपुर में राज्य स्तरीय फ़ैडरेशन की वार्षिक साधारण सभा आयोजित होने जा रही है। मेरा आवाहन है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष में आयोजित होने वाली इन सभाओं में भी राजस्थान के अधिक से अधिक बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित होकर फ़ैडरेशन को मजबूती प्रदान करें।

सहकार भारती के सौजन्य से 10-11 सितंबर, 2025 को बिरला ऑडिटोरियम, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर में "अरबन को-ऑपरेटिव बैंक राष्ट्रीय अधिवेशन" आयोजित हो रहा है जिसके निमंत्रण पत्र पृथक से आपको प्राप्त हो गये होंगे। राजस्थान सरकार भी इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से भागीदारी निभा रही है। इस आयोजन के लिये सरकार द्वारा फ़ैडरेशन के माध्यम से सभी अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों से आर्थिक सहयोग भी चाहा है।

स्वाधीनता दिवस की अग्रिम शुभकामनाओं सहित!

मोहन पाराशर
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय सहकार सम्मेलन का अमित शाह ने किया शुभारंभ



अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर 17 जुलाई, 2025 को राज्य सरकार द्वारा जयपुर में आयोजित "सहकार सम्मेलन" का माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य के 17 अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई।



बैंकों के अध्यक्षगण, संचालकों व वरिष्ठ अधिकारियों की दो दिवसीय कार्यशाला दिनांक 8-9 जुलाई, 2025

दि राजस्थान अरबन को-ऑप. बैंक्स फ़ैडरेशन लि., जयपुर द्वारा राज्य के अरबन को-ऑप. बैंकों के अध्यक्षगण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रबंधकीय एवं सूचना-तकनीकी से संबंधित अधिकारियों की दो दिवसीय कार्यशाला 8-9 जुलाई, 2025 को होटल सिगनेट, अजमेर रोड, जयपुर में आयोजित की गई।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में फ़ैडरेशन अध्यक्ष श्री मोहन पाराशर ने उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत अभिनंदन किया। उन्होंने बताया कि वर्ष के प्रारंभ में जहां 12 बैंकें सुपरवाईजरी एक्शन फ़्रेमवर्क में थे उनकी संख्या घट कर मात्र 1 रह गई है। उन्होंने 20 जून को भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती सेंटा राय के समक्ष उठाये गये बिन्दुओं, 25 जून को सम्पन्न टैफकब की मीटिंग एवं 2 जुलाई को मुम्बई में सम्पन्न स्टैंडिंग एडवाईजरी कमेटी की मीटिंग में हुई चर्चाओं पर प्रकाश डाला।

उन्होंने अवगत कराया कि प्रमुख शासन सचिव महोदया से लगातार अनुरोध कर कई लम्बित प्रकरणों पर आदेश जारी हुए हैं। अरबन बैंकों के अधिकारियों व कर्मचारियों के सेवा नियम जारी होने के साथ ही साथ स्टाफ स्ट्रेन्थ की स्वीकृति के अधिकार बैंकों के संचालक मंडल को प्रत्यायोजित कर दिये गये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार ओटीएस योजना बनाने के लिये भी संचालक मंडल को अधिकृत कर दिया है। सेवा नियम जारी होने के साथ ही सीधी भर्ती का भी रास्ता खुल गया है। जोधपुर एवं सीकर बैंकों के चुनाव घोषित हो चुके हैं एवं शेष रहे स्टर्लिंग बैंक के चुनाव के लिये फ़ैडरेशन सतत् प्रयत्नशील है।

द्वितीय सत्र में सिंगटेक (फिनटेक/मैनेजमेंट/कंसल्टेंट) कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा अपने विभिन्न उत्पादों एवं दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने इस बात पर विशेष प्रकाश डाला कि यूपीआई भुगतान की सुविधाएं बैंकों द्वारा दी जाने पर जहां बैंकों की अमानतों में वृद्धि होगी, नये-नये व्यवसायी जुड़ेंगे वहीं बैंक की नॉन-फण्ड आय भी बढ़ेगी। उनके द्वारा आगे बताया गया कि एनपीसीआई द्वारा सहकारी अरबन बैंकों को भी सीधी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जा रही है एवं उनकी कंपनी बैंकों के लिये सभी प्रकार का सहयोग देने को तत्पर है।

तृतीय सत्र में नेशनल अरबन को-ऑपरटिव डवलपमेंट फाईनेंस कोरपोरेशन (एनयूसीएफडीसी / अम्ब्रेला आर्गनाइजेशन) के मुख्य तकनीकी अधिकारी श्री पदम्भूषण बहादुर

एवं मुख्य व्यावसायिक अधिकारी श्री सुमन हंस द्वारा अम्ब्रेला आर्गनाइजेशन एवं उसके द्वारा अरबन बैंकों को दिये जाने वाले सहयोग एवं उनके प्रयोजन हेतु तैयार की जा रहे विभिन्न उत्पादों/एप्स/सॉफ्टवेयर की जानकारी दी। कोरपोरेशन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंकों के लिये 'bank.in' डोमेन स्थानांतरण की कार्यवाही मात्र 3000/- के एकमुश्त भुगतान पर की जावेगी।

दूसरे दिन के प्रथम सत्र में यूनिसन इश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज प्रा. लि. अहमदाबाद के वाइस प्रेसीडेंट श्री नीरज भाटिया एवं श्री जयेश मिश्रा द्वारा बैंकों में हो रहे साईबर अटैक एवं उनकी रोकथाम पर चर्चा की। इसके लिये किसी सरकारी कंपनी से बीमा पालिसी लिये जाने का भी अनुरोध किया। बैंकों के प्रश्नों के उत्तर में बीमित राशि के लिये उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बैंकों की कार्यशील पूंजी, अमानतों, स्टाफ एवं शाखाओं की संख्या के अनुसार बैंकों के स्तर पर निर्धारित की जानी चाहिये एवं इसके लिये लगभग 2 लाख से 5 लाख रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भी देना होगा। उनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि वे बैंकों के लिये प्रस्ताव बनाने, उनके हित में नेगोसियेशन करने, बीमा पालिसी में सभी शर्तों का समावेश हो, इसके लिये सेवाएं प्रदान करते हैं।

द्वितीय सत्र में सर्वत्र टेक्नोलोजीज के वाइस प्रेसीडेंट श्री हिरेन दवे ने राज्य के अरबन बैंकों में उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं पर चर्चा की। उन्होंने बैंकों को दी जा रही विशिष्ट सेवाओं के लिये 50000/- वार्षिक की छूट की भी घोषणा की।

तृतीय सत्र में आयोजित खुले सत्र में बैंकों के प्रतिभागियों द्वारा अपने-अपने विचार व्यक्त किये। फ़ैडरेशन अध्यक्ष ने बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठकें कम अंतरालों में आयोजित करने का प्रयास करने की बात कही जिससे मिलजुल कर समस्याओं का हल निकाला जा सके।

समापन सत्र में अध्यक्ष श्री पाराशर ने गैर निधि आधारित आय बढ़ाने, एमएसएमई में निवेश, प्रोफेशनल्स, सीए, डाक्टर्स, छोटे दुकानदार, ठेकेदार आदि को ऋण देने का सुझाव दिया। उन्होंने आयकर एवं जीएसटी पर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये एवं अंत में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बैंकों को नॉन-फण्ड आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा एवं इसके लिये ही फ़ैडरेशन द्वारा समय-समय पर विभिन्न संस्थाओं को आमंत्रित किया जाता है जिससे बैंकों को चयन का विकल्प उपलब्ध हो एवं वे इस पर विचार कर सकें।

शुभकामना संदेश

राष्ट्रीय अरबन को-ऑपरेटिव बैंक समिट में जालौर, बालोतरा एवं चित्तौड़गढ़ बैंक सम्मानित



अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष में नेफकब एवं एक्मे इन्फोमीडिया के संयुक्त तत्वावधान में पुणे में आयोजित "राष्ट्रीय अरबन को-ऑपरेटिव बैंक समिट" में नेशनल फ़ेडरेशन एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों की उपस्थिति में **जालौर नागरिक सहकारी बैंक एवं चित्तौड़गढ़ अरबन को-ऑप. बैंक को सम्मानित किया गया।**

जालौर नागरिक सहकारी बैंक को उत्कृष्ट व्यवसाय वृद्धि, लाभार्जन क्षमता में वृद्धि तथा कारगर नियंत्रण प्रणाली के लिये "बेस्ट अरबन को-ऑपरेटिव बैंक" के सम्मान से सम्मानित किया गया। इस बैंक को "बेस्ट एनपीए मैनेजमेंट" के लिये भी पुरस्कृत किया गया।

चित्तौड़गढ़ अरबन बैंक के अध्यक्ष डॉ. इन्द्रमल सेठिया को बेस्ट चेयरमैन अवार्ड तथा प्रबंध निदेशक वंदना वजीरानी को "बेस्ट वूमन यंग लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया" गया।

फ़ेडरेशन अध्यक्ष श्री मोहन पाराशर ने बताया कि इस समिट में अरबन बैंकों में प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन पर सार्थक चर्चा हुई।



अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के कार्यक्रम में झालावाड़ बैंक ने किया वृक्षारोपण

झालावाड़ नागरिक सहकारी बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत 20 जुलाई, 2025 को श्री गोपाल गौशाला सेवा संस्थान, भवानीमंडी में बैंक अध्यक्ष श्री जे. के. अरोड़ा द्वारा पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। श्री अरोड़ा ने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत गौशाला में 25 प्रजातियों के छायादार, औषधीय व फलदार पौधे ट्री गार्ड सहित रोपित किये गये।



स्थापना दिवस/ बैंक कार्य प्रारंभ दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं


- जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक— 23 जुलाई, 2025 को 51वां शुभारंभ दिवस
- रेल्वे श्रमिक सहकारी बैंक— 1 जुलाई, 2025 को 101वां स्थापना दिवस
- स्टर्लिंग अर. को-ऑप. बैंक लि.— 22 जुलाई, 2025 को 29वां स्थापना दिवस

जालौर बैंक की 19वीं शाखा बालोतरा शाखा का शुभारंभ

जालौर नागरिक सहकारी बैंक की 19वीं शाखा का 19 जुलाई, 2025 को बालोतरा में शुभारंभ हुआ। बैंक अध्यक्ष सीए मोहन पाराशर ने बताया कि बैंक की 20वीं शाखा सुमेरपुर में 8 अगस्त को प्रारंभ होगी। फ़ेडरेशन के समस्त संचालकगण एवं स्टाफ की ओर से हार्दिक बधाई।

“फ़ैडरेशन के माननीय सदस्य”

फ़ैडरेशन की मासिक समाचार-पत्रिका “सृजन” के माह अप्रैल, 2025 के अंक से राज्य के अरबन बैंकों के माननीय अध्यक्षों का प्रोफ़ाइल विवरण “फ़ैडरेशन के माननीय सदस्य” शीर्षक से प्रकाशित किया जा रहा है। इस अंक में श्री योगेश कुमार शर्मा, माननीय अध्यक्ष, भरतपुर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक का प्रोफ़ाइल विवरण प्रस्तुत है।



श्री योगेश कुमार शर्मा
माननीय बैंक अध्यक्ष, भरतपुर को-ऑपरेटिव बैंक

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 नाम | श्री योगेश कुमार शर्मा |
| 2 पिता का नाम | श्री तोता राम शर्मा |
| 3 निवास | कर्नल गणेश लाल की हवेली, गोपाल गढ़,
भरतपुर-321001 |
| 4 वाट्सएप मोबाईल नंबर | 9460737848 |
| 5 ईमेल- कार्यालय एवं व्यक्तिगत | bucbbharatpur@gmail.com |
| 6 शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता | सोसियोलोजी में स्नात्कोत्तर . |
| 7 जन्मतिथि | 4 जुलाई, 1956 |
| 8 अरबन बैंक से जुड़ाव | 22 दिसम्बर, 2022 से भरतपुर अरबन को-
ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद पर कार्यरत। |



दि राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक्स फ़ैडरेशन लि., जयपुर



— माह जुलाई, 2025 में फ़ैडरेशन स्तर पर सम्पन्न मुख्य गतिविधियां —

- 2 जुलाई: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुम्बई कार्यालय में आयोजित स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फ़ैडरेशन अध्यक्ष श्री मोहन पाराशर द्वारा भाग लिया गया जिसमें राजस्थान सरकार की प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रीमती मंजू राजपाल भी विशेष रूप से आमंत्रित थीं। बैठक में महत्वपूर्ण विषयों जिनमें राज्य के अरबन बैंकों की समस्याओं एवं उनके समाधान के उपायों पर सार्थक चर्चा हुई।
- 3 जुलाई: रजिस्ट्रार महोदय द्वारा पूर्व में दिनांक 21.02.2006 को जारी सेवा नियमों एवं समय-समय पर जारी संशोधनों को अतिलिखित करते हुए नवीन रूप से राज्य के अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा नियम 20 जून, 2025 को जारी कर दिये गये हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गये हैं। नवीन सेवा नियमों के बिन्दु सं. 3 के अनुसार बैंक की स्टाफ स्ट्रेन्थ के लिये, रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी मानदंडानुसार कार्मिकों के पदवार वर्गीकरण व संख्या निर्धारण हेतु बैंक का संचालक मंडल अधिकृत होगा।
बैंकों से निवेदन किया गया कि दिनांक 31.03.2025 के बैंक व्यवसाय की स्थिति के आधार पर बैंक के लिये नवीन रूप से स्टाफ स्ट्रेन्थ का आंकलन कर आवश्यकतानुसार पदों का निर्धारण करें। इसके लिये रजिस्ट्रार कार्यालय को पत्रादि प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसकी सूचना रजिस्ट्रार कार्यालय को दी जानी है।
- 4 जुलाई: सदस्य बैंकों को कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया कि नये सेवा नियमों के बिन्दु सं. 3 के अनुसार बैंक स्तर पर स्टाफ स्ट्रेन्थ स्वीकृत करने के उपरांत सीधी भर्ती की कार्यवाही बिन्दु सं. 5 के अनुसार होगी। अतएव रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा स्वीकृत पदों अथवा उपरोक्तानुसार 31.03.2025 के आंकलित पदों में से डी ग्रेड के अधिकारी एवं बैंकिंग सहायक के लिये सीधी भर्ती हेतु जो बैंक प्रबंधन चाहे वह राज्य सहकारी भर्ती मंडल एवं मंडल के अध्यक्ष अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) को नियमानुसार आवेदन करें जिससे भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो सके।
- 8-9 जुलाई: फ़ैडरेशन द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला होटल सिगनेट, अजमेर रोड, जयपुर में आयोजित की गई जिसके लिये 18 पृष्ठों की पुस्तिका पूर्व में ही सभी सदस्य बैंकों को प्रेषित कर दी गई थी। कार्यशाला का शुभारंभ श्री मोहन पाराशर अध्यक्ष महोदय द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के नवीन निर्देशों, टेफकब मीटिंग में हुई चर्चा के बिन्दुओं, स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी के चर्चा बिन्दुओं के साथ एवं सभी उपस्थित महानुभावों के स्वागत के साथ किया गया। इसके पश्चात् सिंघटेक कंपनी, जो एक फिनटेक कंपनी है एवं कंसल्टेंसी सेवाएं भी प्रदान करती है, द्वारा बैंकों के उपयोग में आने वाले उत्पादों एवं सेवाओं की जानकारी दी। मध्याह्न भोजन उपरांत **NUCFDC** के प्रतिनिधियों द्वारा **NUCFDC** द्वारा अरबन बैंकों को दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी गई।

इसी दिन फ़ैडरेशन के संचालक मंडल की बैठक भी आयोजित हुई जिसमें फ़ैडरेशन की वार्षिक साधारण सभा की तिथि एवं स्थान के बारे में निर्णय लिया गया।

दूसरे दिन यूनिसन इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज, सर्वत्र टेक्नोलोजीज के प्रतिनिधियों से भी चर्चा हुई एवं मध्याह्न भोजन पश्चात् आयोजित खुले सत्र में उपस्थिति प्रतिभागियों ने अपने-अपने विचार प्रस्तुत किये। अंत में अध्यक्ष महोदय ने 30 अगस्त, 2025 को आयोजित वार्षिक साधारण सभा में बैंकों से अधिक से अधिक प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने का आह्वान किया।

- 11 जुलाई: राजस्थान सरकार द्वारा 17 जुलाई, 2025 को ग्राम दादिया-वाटिका में आयोजित सहकार सम्मेलन का उद्घाटन किये जाने के लिये केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह के पधारने की जानकारी सभी सदस्य बैंकों को कराते हुए बैंकों के अध्यक्षगण, संचालकगण एवं अन्य सदस्यों द्वारा अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने हेतु निवेदन किया गया।
- 11 जुलाई: सदस्य बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 22.04.2025 की जानकारी दी गई जिसके द्वारा बैंकिंग प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान (IRDBT) के माध्यम से बैंकों के लिये *bank.in' डोमेन को 31 अक्टूबर, 2025 तक अनिवार्य रूप से क्रियान्वित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
- 17 जुलाई: राजस्थान सरकार द्वारा बृहद् सहकार सम्मेलन जयपुर के पास दादिया ग्राम, वाटिका में आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह द्वारा किया गया। सम्मेलन में राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल, सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दक, प्रमुख शासन सचिव श्रीमती मंजू राजपाल भी उपस्थित थे। इसमें फ़ैडरेशन के अध्यक्ष महोदय एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ राज्य के 17 अरबन बैंकों के प्रतिनिधियों द्वारा बड़ी संख्या में भाग लिया गया।
- 22 जुलाई: फ़ैडरेशन की वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30 अगस्त, 2025 को आयोजित करने बाबत सूचना सभी सदस्य बैंकों को भेजी गई। साधारण सभा के विचारणीय विषय 30 जुलाई को मेल एवं तत्पश्चात् स्पीड पोस्ट से प्रेषित किये गये। वार्षिक प्रतिवेदन मुद्रण पश्चात् प्रेषित किये जायेंगे।
- 25 जुलाई— एक्मे इन्फोमीडिया द्वारा 25 जुलाई, 2025 को होटल कोनार्ड, पुणे में नेफकब के सहयोग से आयोजित "2nd rashtirya Urban Cooperative Banking Summit & Awards 2025" आयोजित किया गया जिसमें राजस्थान फ़ैडरेशन द्वारा गैर-वित्तीय सह-मेजवान पार्टनर के रूप में भाग लिया गया। फ़ैडरेशन की ओर से श्री मोहन पाराशर अध्यक्ष एवं श्रीएम.एल. शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा भाग लिया गया।
- 28 जुलाई: नेफकब की वार्षिक साधारण सभा दिनांक 29 अगस्त, 2025 में अरबन बैंकों की ओर से भाग लेने के लिये अध्यक्ष श्री मोहन पाराशर द्वारा राजस्थान से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहने का आवाहन किया। इसके साथ ही 30 अगस्त 2025 को सम्पन्न होने वाली फ़ैडरेशन की वार्षिक साधारण सभा में भी अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने हेतु बैंकों को निवेदन किया गया।
- 29 जुलाई: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यवसाय प्राधिकार बाबत जारी परिपत्र क्रमांक RBI/2025-26/DOR.REG No.XX/07.01.000/2025-26 दिनांक अलिखित से जारी निर्देशों का प्रारूप सदस्य बैंकों को भेजा गया। प्रारूप के अनुसार आने वाले समय में "Financially Sound and Well Managed (FSWM)" के स्थान पर "Eligibility Criteria for Business Authorization (ECBA)" लागू होगा।
- 31 जुलाई: माननीय केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2025 को जारी नेशनल को-ऑपरेटिव पालिसी के मुख्य-मुख्य बिन्दुओं की जानकारी सभी सदस्य बैंकों को प्रस्तुत की गई।

.0.0.0.